सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी

पत्रांक– जी0-620/2025

दिनांक– 12.07.2025

कार्यालय–आदेश

सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से सम्बद्ध महाविद्यालयों की स्थापना संस्कृत भाषा के प्रचार–प्रसार, सम्वर्द्धन एवं उन्नयन के लिए स्थापित किया गया है किन्तु वर्तमान में यह तथ्य संज्ञान में लाया जा रहा है कि कतिपय महाविद्यालयों के प्रबन्धतन्त्र द्वारा महाविद्यालयों की भूमि, भवन, सम्पत्ति को बेचने/विक्रय करने का प्रयास किया जा रहा हैं, क्योंकि वर्तमान में यह जमीनें शहर के मध्य में आ जाने के कारण अत्यधिक कीमती हो गयी है।

अतः इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि कोई भी प्रबन्धतन्त्र किसी भी परिस्थिति में महाविद्यालय की जमीन, भवन, अन्य सम्पत्तियों को विक्रय, लीज नही कर सकेगा और न ही अन्य किसी भी माध्यम से अन्य किसी को हस्तान्तरित करेगा। यदि कोई ऐसा करने का प्रयास करता है तो अपराध की श्रेणी में माना जायेगा और उसके विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जायेगी और उसके द्वारा की गई विक्रय की प्रक्रिया को शून्य (Null and Void) माना जायेगा।

इस पर कुलपति महोदय की स्वीकृति प्राप्त है।

(राकेश कुमार I.A.S.)
कुलसचिव

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1–निजी सचिव कुलपति, मा0 कुलपति महोदय के स्वीकृति दिनांक 07.07.2025 के क्रम में अवलोकनार्थ।
2–प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1, लखनऊ।
3–प्रमुख सचिव, (माध्यमिक) अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4–प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5–महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6–समस्त जिला अधिकारी, उत्तर प्रदेश राज्य।
7–समस्त जनपद के सहायक महानिरीक्षक, स्टाम्प एवं पंजीयन विभाग, उत्तर प्रदेश राज्य को इस आशय के साथ प्रेषित कि अनुपालन कराने का कष्ट करें।
8–समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश राज्य।
9–आशुलिपिक, कुलसचिव।
10–श्री मोहित मिश्र, सिस्टम एनालिस्ट, संगणक–केन्द्र को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय वेबसाईट पर अपलोड/प्रसारित करायें।
11–सहायक कुलसचिव/अधीक्षक (सम्बद्धता)।
12–समस्त प्रबन्धक एवं प्राचार्य, सं0सं0वि0वि0, वाराणसी से सम्बद्ध संस्कृत महाविद्यालय।
13–सम्बद्ध पत्रावली।

12/7/2025

(राकेश कुमार I.A.S.)
कुलसचिव